रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012024-251523 CG-DL-E-19012024-251523

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303] No. 303]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2024/पौष 29, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2024/PAUSHA 29, 1945

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2024

# संख्या 06/2024-सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 314(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51क की उपधारा (4) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या 19/2022-सीमाशुल्क (गै.टे), जिसे का.आ. 1512(अ) दिनांक 30 मार्च 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥ खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा,-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, '20 जनवरी, 2024', शब्दों के स्थान पर '1 मार्च, 2024 ', शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. 442/02/2017-सीमा शुल्क IV(पार्ट)]

संजीत कुमार, अवर सचिव

483 GI/2024 (1)

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 19/2022-सीमाशुल्क(गै.टे) दिनांक 30 मार्च, 2022, को का. आ. 1512(अ) दिनांक 30 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड ॥ में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या 48/2022-सीमाशुल्क(गै.टे) दिनांक 31 मई, 2022 जिसे का. आ. 2494(अ) दिनांक 31 मई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना संख्या 99/2022 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 29 नवंबर, 2022 जिसे का. आ. 5540(अ) दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड II में प्रकाशित किया गया था, अधिसुचना सं. 19/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 मार्च, 2023 जिसे का.आ. 1529 (अ), दिनांक 30 मार्च, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था, अधिसुचना संख्या 30/2023 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 26 अप्रैल, 2023 जिसे का. आ. 1934(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, अधिसुचना संख्या 48/2023 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 30 जुन, 2023 जिसे का. आ. 2830(अ) दिनांक 30 जुन, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, द्वारा संशोधित किया गया था, अधिसचना संख्या 70/2023 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 27 सितम्बर, 2023 जिसे का. आ. 4254(अ) दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, और अधिसुचना संख्या 88/2023 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 29 नवंबर, 2023 जिसे का. आ. 5087(अ) दिनांक 29 नवंबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, द्वारा संशोधित किया गया था ।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th January, 2024

No. 06/2024-Customs (N.T.)

**S.O. 314(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 51A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments to the Notification No.19/2022-Customs (N.T.) dated the 30th March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 1512 (E), dated the 30<sup>th</sup> March, 2022, namely, -

In the said notification, in para 2, for the words, '20th January, 2024', the words '1st March, 2024' shall be substituted.

[F. No. 442/02/2017-Cus IV(Pt)] SANJEET KUMAR, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide notification no. 19/2022-Customs (N.T.), dated the 30th March, 2022, vide number S. O. 1512 (E), dated the 30th March, 2022 and was amended by notification no. 48/2022-Customs (N.T.) dated the 31st May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2494 (E), dated the 31<sup>st</sup> May, 2022, notification no. 99/2022-Customs (N.T.) dated the 29<sup>th</sup> November, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 5540 (E), dated the 29<sup>th</sup> November, 2022, notification no. 19/2023-Customs (N.T.) dated the 30<sup>th</sup> March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1529 (E), dated the 30<sup>th</sup> March, 2023, notification no. 30/2023-Customs (N.T.) dated the 26th April, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1934 (E), dated the 26th April, 2023, notification no. 48/2023-Customs (N.T.) dated the 30<sup>th</sup> June, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2830(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2023, notification no. 70/2023-Customs (N.T.) dated the 27th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 4254(E), dated the 27th September, 2023 and notification no. 88/2023-Customs (N.T.) dated the 29th November, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 5087(E), dated the 29<sup>th</sup> November, 2023.